न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम भंवरीदेवी पत्नि द्वारकाप्रसाद, मगनीराम पुत्र मोतीराम कुम्हार कुचामनसिटी वगैरह जिला डीडवाना–कुचामन

प्रार्थना–पत्र नम्बर 49/2022 **GCMS No.2022/103**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
03/10/2023	पत्रावली अप्रार्थी मगनीराम पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी एव उनके अधिवक्ता श्री रणवीर कुमावत द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थी भंवरीदेवी व मगनीराम वगैरह के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1219 रकबा 1.08 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से 0.18 हैक्टर को अप्रार्थीगण ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 05.04.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है अप्रार्थी ने उपरोक्त भूमि में कुछ हिस्से में चाय व किराणा की दुकान बना रखी है शेष भूमि पर कृषि कार्य के उपयोग में लेते आ रहे है, कृषि की आय से जीवन का गुजारा चलाना काफी मुश्किल हो गया है क्योकि कृषि से आमदनी काफी कम होती है इसलिए उक्त भूमि में अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये दुकान चलाता आ रहा है, इसके अलावा अप्रार्थी के अन्य कोई आय का स्त्रोत नही है, उक्त खसरा नम्बर 1219 की भूमि शामलाती राजस्व रिकार्ड में होने के कारण भू–रूपान्तरण की कार्यवाही नही की जा सकती है तथा खसरा नम्बर 1219 की भूमि पर स्थगन होने के कारण भू–रूपान्तरण हेतु आवेदन योग्य नही है, उक्त भूमि का सभी खातेदार आपसी सहमति से भू–विभाजन करवाना चाहते है लेकिन स्थगन होने के कारण भू–विभाजन नही हो पा रहा है, भू–रूपान्तरण का आवेदन अप्रार्थीगण करवाना चाहते है ताकि [illegible] किस्म परिवर्तन किया जाकर व्यवसाय हेतु [illegible] सके। अतः स्थगन खारिज फरमाये जाने की कृपा [illegible], जिससे अप्रार्थीगण भू–विभाजन की कार्यवाही करवा सके।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:47:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

T.I. 49/2022 सरकार/फिलौडेवी व अन्य Vrms No. 2022/103

	माननीय न्यायालय का स्थगन होने से अप्रार्थी को भू–विभाजन कराकर भू–रूपान्तरण करवाने में असुविधा हो रही है, अप्रार्थी ने अण्डरटेकिग दी है कि व उक्त कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने से पहले संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से विविधत संपरिवर्तन करवाकर ही गैर कृषि उपयोग में लेगा जिसके लिए शपथ–पत्र भी दिया गया है। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है तथा अप्रार्थी ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1219 रकबा 1.08 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से 0.18 हैक्टर भूमि में चाय की दुकान इत्यादि के लिए कुछ हिस्सा उपयोग में लिया गया है, शेष भूमि कृषि उपयोग में ही आ रही है। अप्रार्थी का अन्य सहखातेदारान के साथ मिलकर भू–विभाजन कराकर तत्पश्चात भू–रूपान्तरण करवाना चाहता है। माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण अप्रार्थी को उक्त कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। अतः अप्रार्थी के जवाब में उल्लेखित तथ्यों एव प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 05.04.2022 एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (मनोज,**RAS**) उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी(डीडवाना–कुचामन) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) 03/10/2023 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) Signature Not Verified Digitally signed by Manoj Date: 2023.11.03 13:07:27 IST Reason: SelfAttested	